अध्याय-I

1.1 प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकार के 55 विभागों के साथ 384 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 776 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि) की लेखापरीक्षा, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय/पंचायतीराज संस्थान शामिल हैं, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। विभागों एवं सम्बन्धित इकाईयों का विवरण ***परिशिष्ट-1.1*** में दिया गया है।

1.2 लेखापरीक्षा आच्छादन

वर्ष 2021-22 के मध्य, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के 55 विभागों के अंतर्गत 6,537 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के सापेक्ष लेखापरीक्षा के लिए नियोजित कुल 870 इकाइयों में से 249 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् और मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली', 'खेल विभाग की गतिविधियों' और 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के कार्यान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 12 विभागों[1] एवं उनके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों से संबंधित 12 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के परिणाम शामिल हैं।

1.3 लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके विचार व्यक्त करने के लिए चार चरणों में अवसर प्रदान करती है, यथा,

लेखापरीक्षा ज्ञापन: स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा के दौरान ही उत्तर देने हेतु निर्गत किया जाता है।

---

[1] कृषि शिक्षा और अनुसंधान, कृषि विपणन और कृषि विदेशी व्यापार, आवास और शहरी योजना, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ, जेल प्रशासन और सुधार सेवाएं, ग्रामीण विकास, खेल, तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास।

निरीक्षण प्रतिवेदन: लेखापरीक्षा सम्पादित होने के एक महीने के भीतर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के भीतर उत्तर देने हेतु निर्गत किया जाता है।

आलेख्य निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/आलेख्य प्रस्तर: भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने से पूर्व उन विभागों के प्रमुखों को, जिनके अधीन लेखापरीक्षित इकाइयां कार्य करती हैं, छह सप्ताह की अवधि के भीतर विभागीय मत प्रस्तुत करने के लिए निर्गत किया जाता है।

समापन बैठक: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा/विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शासन/विभागीय मतों को जानने के लिए विभागों के प्रमुखों एवं शासन को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में, लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों के प्रमुखों/शासन को खंडन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का पूरा अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या संतोषजनक नहीं होते हैं, तब ही लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण प्रतिवेदन या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जैसा भी मामला हो, में शामिल करने हेतु कार्रवाई की जाती है। तथापि, अधिकतर प्रकरणों में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, लेखापरीक्षित इकाइयाँ सामयिक एवं संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करती हैं।

- **निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तरों की स्थिति**

55 विभागों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से संबंधित 3,572 आहरण और संवितरण अधिकारियों को मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चला कि 11,926 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 53,024 प्रस्तर 31 मार्च 2023 तक संतोषजनक उत्तर के अभाव में अनिस्तारित थे। इनमें से, आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा 4,141 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 16,207 प्रस्तरों के सापेक्ष प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत किया गया जबकि 7,785 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 36,817 प्रस्तरों के संबंध में, आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गई है।

तालिका 1.1: 31 मार्च 2023 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन और प्रस्तर (31 मार्च 2022 तक निर्गत)

क्र.सं.	अवधि	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	एक वर्ष तक	240 *(2)*	2478 *(5)*
2	1 वर्ष से अधिक से 3 वर्ष तक	1690 *(14)*	10073 *(19)*
3	3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक	2103 *(18)*	10626 *(20)*
4	5 वर्ष से अधिक	7893 *(66)*	29847 *(56)*
योग		**11926**	**53024**

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई सूचना)

2021-22 की अवधि के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा की दो बैठकें (लेखापरीक्षा समिति की बैठकें) आयोजित की गईं, जिनमें 106 प्रस्तरों का निष्तारण किया गया।

- **वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तरों की स्थिति**

लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के नियम 138 में प्रावधान है कि शासन के संबंधित विभाग के सचिव निर्दिष्ट समय के भीतर आलेख्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/आलेख्य प्रस्तर पर शासन की टिप्पणियों, मतों और स्पष्टीकरण को सूचित करेंगे।

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2022 के लिए, 'राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् और मण्डी समितियों की कार्यप्रणाली', 'खेल विभाग की गतिविधियों' और 'दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के कार्यान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा और 12 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को संबंधित प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके मतों को जानने के लिए अग्रेषित किया गया था।

तीनों निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 11 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में शासन के उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुयी हैं। अवशेष एक लेखापरीक्षा प्रस्तर के संबंध में शासन का उत्तर अभी (दिसंबर 2024) भी अनुस्मारकों के पश्चात भी प्रतीक्षित था। लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत न करने के कारण

शासन के उत्तरदायित्व निर्धारण एवं पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इसलिए यह चिंता का कारण है।

1.4 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी अनुवर्ती कार्यवाही

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि यह कार्यपालिका से उचित और सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करे। वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों/ निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, राज्य विधानमंडल में उनकी प्रस्तुति के दो से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश निर्गत (जून 1987) किया। लंबित उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 1.2** में दी गई है।

तालिका 1.2: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (31 दिसंबर 2023 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. और वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर और अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर		निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं।	
			निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर	अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर	निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर	अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर
2012-13	सं. 05 वर्ष 2014	17.11.2014	5	28	0	2
2012-13	सं. 03 वर्ष 2014	01.07.2014	1.	0	0	0
2013-14	सं. 03 वर्ष 2015	26.03.2015	6	33	2	2
2014-15	सं. 01 वर्ष 2016	08.03.2016	9	30	4	2
2014-15	सं. 03 वर्ष 2016	23.08.2016	1.	0	1.	0
2015-16	सं. 02 वर्ष 2017	18.05.2017	2	29	0	11
2015-16	सं. 03 वर्ष 2017	21.07.2017	1.	0	0	0
2015-16	सं. 04 वर्ष 2017	27.07.2017	1.	0	0	0
2016-17	सं. 03 वर्ष 2018	07.02.2019	0	10	0	4
2017-18	सं. 02 वर्ष 2019	17.12.2019	1.	0	1.	0
2018-19	सं. 02 वर्ष 2021	19.08.2021	1.	22	1.	16
2019-20	सं. 06 वर्ष 2022	22.02.2023	1.	0	1.	0
2020-21	सं. 01 वर्ष 2023	28.02.2023	0	17	0	16
2020-21	सं. 02 वर्ष 2023	08.08.2023	1.	0	1.	0
		कुल योग	**30**	**166**	**11**	**53**

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना)

- **लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा**

वर्ष 2012-13 से 2020-21 के मध्य, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों से संबंधित 30 निष्पादन लेखापरीक्षा और 166 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, लोक लेखा समिति ने चर्चा के लिए 91 प्रस्तर (निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर) उठाये। 31 दिसंबर 2023 तक लोक लेखा समिति की चर्चा की स्थिति **तालिका 1.3** में प्रदर्शित है।

तालिका 1.3: लो.ले.स. विधान सभा, उत्तर प्रदेश चर्चा की स्थिति (31 दिसंबर 2023 तक)

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2020-21 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर/अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर)
कुल लेखापरीक्षा प्रस्तरों की संख्या	196 (30 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर + 166 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर)
लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा के लिए लिया गया	91 (15 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रस्तर + 86 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर)
लोक लेखा समिति द्वारा की गई अनुशंसा	अभी तक अप्राप्त
प्राप्त एटीएन	शून्य

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित की गई सूचना)